डिस्कलेमर

आदेश संख्या 18/2024-25 का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

ऐरा/20019/सीजीएफ-जी/2010-11/वॉल्यूम- IX

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

आदेश संख्या 18/2024-25

तृतीय तल, उड़ान भवन,
सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली– 110003.

जारी करने की तारीख: 24 मार्च, 2025

विषय : मौजूदा टैरिफ की वसूली 30.06.2025/30.09.2025 तक जारी रखने के लिए अंतरिम व्यवस्था।

ऐरा ने दिनांक 14 सितम्बर, 2024 के आदेश संख्या 09/2024-25 द्वारा निम्नलिखित हवाईअड्डों/हवाईअड्डा प्रचालकों को अन्य बातों के साथ-साथ 01.10.2024 से 31.03.2025 तक छ: (06) माह की अवधि, या, उनकी संबंधित नियंत्रण अवधियों के लिए नियमित टैरिफ निर्धारित किए जाने तक, जो भी पहले हो, के लिए अंतरिम आधार पर टैरिफ वसूल करने की अनुमति दी:

तालिका – I

क्र. सं.	हवाईअड्डा प्रचालक का नाम	हवाईअड्डे का नाम
1.	डेल्ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (डीआईएएल)	दिल्ली
2.	मुम्बई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एमआईएएल)	मुम्बई
3.	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई)	इंदौर
4.		अमृतसर
5.		वाराणसी
6.		पोर्ट-ब्लेयर

2. प्राधिकरण ने उपर्युक्त हवाईअड्डों के संबंध में नियमित टैरिफ निर्धारित करने संबंधी स्थिति की समीक्षा की और निम्नानुसार टिप्पणी की:

(i) इंदौर, वाराणसी और अमृतसर हवाईअड्डे की द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ आदेश जारी कर दिया गया है।

(ii) दिल्ली और मुम्बई हवाईअड्डे के लिए परामर्श पत्र जारी कर दिया गया है और टैरिफ आदेश को अंतिम रूप देने और जारी करने की प्रक्रिया अग्रिम स्तर पर है।

(iii) पोर्ट ब्लेयर हवाईअड्डे के लिए बहुवर्षीय टैरिफ प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

3 साथ ही, ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 2 (i) के अंतर्गत निश्चित किए अनुसार 3.5 एमपीपीए से अधिक की निर्धारित क्षमता के आधार पर देहरादून हवाईअड्डे को हालही में प्रमुख हवाईअड्डा घोषित किया गया है। एएआई से बहुवर्षीय टैरिफ प्रस्ताव प्राप्त हो गया है।

4. इसके अतिरिक्त, रायपुर और त्रिचि हवाईअड्डों की पिछली नियंत्रण अवधि की टैरिफ 31 मार्च, 2025 को समाप्त हो रही है और एएआई के इन दोनों हवाई अड्डों के संबंध में बहुवर्षीय टैरिफ प्रस्ताव (एमवाईटीपी) हवाईअड्डा प्रचालकों से अभी प्राप्त होने हैं।

5. उपर्युक्त को देखते हुए यह स्पष्ट है कि :

क. दिल्ली और मुम्बई हवाईअड्डों के संबंध में वैमानिक सेवाओं के लिए अंतिम रूप से टैरिफ निर्धारण की प्रक्रिया अग्रिम स्तर पर है जिसमें आने वाले माह भी शामिल होने की संभावना है।
ख. पोर्ट ब्लेयर हवाईअड्डे के संबंध में एमवाईटीपी की जांच की जा रही है।
ग. रायपुर और त्रिचि हवाईअड्डे की टैरिफ निर्धारण प्रक्रिया एएआई से एमवाईटीपी प्राप्त होने के बाद शुरू की जाएगी, यह प्रस्ताव अभी भी प्रतीक्षित है।

तदनुसार प्राधिकरण निम्नलिखित तालिका 2 में उल्लिखित हवाईअड्डों/हवाईअड्डा प्रचालकों के संबंध में 31.03.2025 को लागू मौजूदा टैरिफ दिल्ली और मुम्बई हवाईअड्डों के लिए 01.04.2025 से 30.06.2025 तक 03 (तीन) माह की अवधि के लिए और पोर्ट ब्लेयर, देहरादून, रायपुर और त्रिचि हवाईअड्डों के लिए 01.04.2025 से 30.09.2025 तक 06 (छ:) माह की अवधि के लिए बढ़ाने का निर्णय लेता है:

तालिका 2

क्र. सं.	हवाईअड्डा प्रचालक का नाम	हवाईअड्डे का नाम	अवधि
1.	डेल्ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (डायल)	दिल्ली	01.04.2025 से 30.06.2025
2.	मुम्बई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (मायल)	मुम्बई	
3.	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई)	पोर्ट ब्लेयर	01.04.2025 से 30.09.2025
4.		देहरादून	
5.		रायपुर	
6.		त्रिचि	

आदेश

प्राधिकरण रिकॉर्डों में उपलब्ध तात्विक सामग्री पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरांत भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 13(1) (ए) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा आदेश देता है कि:

(i) **उपर्युक्त तालिका-2 की क्रम संख्या 1 से 2 में सूचीबद्ध हवाईअड्डा प्रचालकों** को 31.03.2025 को लागू मौजूदा टैरिफ अंतरिम आधार पर 03 (तीन) माह की अवधि तक **अर्थात 01.04.2025 से 30.06.2025 तक** या उनकी संबंधित नियंत्रण अवधि के लिए नियमित टैरिफ निर्धारित किए जाने तक, जो भी पहले हो, वसूल करने की अनुमति दी जाती है।

(ii) **उपर्युक्त तालिका-2 की क्रम संख्या 3 से 6 में सूचीबद्ध हवाईअड्डा प्रचालकों** को 31.03.2025 को लागू मौजूदा टैरिफ अंतरिम आधार पर **01.04.2025 से 30.06.2025 तक 06 (छ:) माह की अगली अवधि तक** या उनकी संबंधित नियंत्रण अवधि के लिए नियमित टैरिफ निर्धारित किए जाने तक, जो भी पहले हो, वसूल करने की अनुमति दी जाती है।

(iii) उपर्युक्त तालिका-2 की क्रम संख्या 5 से 6 में सूचीबद्ध हवाईअड्डा प्रचालक को प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों के अनुसार समय पर एमवाईटीपी प्रस्तुत करने की सलाह दी जाती है।

(iv) हवाईअड्डा प्रचालक इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता

(सुयश नारायण)
सचिव

सेवामें,

1. अध्यक्ष,
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण,
राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली-110003

2. श्री के नारायण राव, निदेशक,
डेल्ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड,
न्यू उड़ान भवन, टर्मिनल-3 के सामने, नई दिल्ली-110037

3 श्री प्रकाश तुलसियानी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
मुम्बई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड,
टर्मिनल-1बी, मुम्बई -400099

प्रतिलिपि;

1. **सचिव,** नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली – 110 003
2. **नागर विमानन महानिदेशालय** :एआईसी जारी करने के लिए